



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14072026-274476
CG-DL-E-14072026-274476

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3675]

नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 13, 2026/आषाढ 22, 1948

No. 3675]

NEW DELHI, MONDAY, JULY 13, 2026/ASHADHA 22, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 जुलाई, 2026

का.आ. 3837(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 1060(E), दिनांक 27/02/2026 (जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित हुई थी और जिसे राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे आगे 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 3A की उप-धारा (1) के तहत जारी किया गया था) के माध्यम से, केंद्र सरकार ने ओडिशा राज्य के जगतसिंहपुर जिले में कांडारपुर-बालिकुडा मार्ग (किमी 277.500 से किमी 318.970 तक) को 2L+PS (दो लेन और पक्के कंधे) में चौड़ा और मजबूत करने के लिए उक्त अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची में बताई गई भूमि का अधिग्रहण करने का अपना इरादा घोषित किया था;

और चूंकि उक्त अधिसूचना का सार "द समाज" (दिनांक 17 अप्रैल 2026) और "ओडिशा भास्कर" (दिनांक 17 अप्रैल 2026) में उक्त अधिनियम की धारा 3A की उप-धारा (1) के तहत प्रकाशित किया गया है;

और चूंकि सक्षम प्राधिकारी को धारा 3-C के तहत आपत्तियां प्राप्त हुई थीं, जिन पर उचित रूप से विचार किया गया और उनका निपटारा किया गया;

और चूंकि उक्त अधिनियम की धारा 3D की उप-धारा (1) के अनुपालन में, सक्षम प्राधिकारी ने केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है;

अतः, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त होने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3D की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि उक्त अनुसूची में निर्दिष्ट भूमि का अधिग्रहण उपरोक्त उद्देश्य के लिए किया जाना चाहिए;

और इसके अलावा, उक्त अधिनियम की धारा 3D की उप-धारा (2) के अनुपालन में, केंद्र सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि आधिकारिक राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में निर्दिष्ट भूमि सभी प्रकार के भारों (encumbrances) से मुक्त होकर पूरी तरह से केंद्र सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

ओडिशा राज्य के जगतसिंहपुर ज़िले में NH-55 पर कंधारपुर-बालिकुडा सड़क (km 277.500 से km 318.970 तक) को 2L+PS (दो लेन और पेव्ड शोल्डर) में चौड़ा और मज़बूत करने के काम के लिए अधिग्रहित की जाने वाली ज़मीन (जिस पर कोई ढांचा हो या न हो) का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: उड़ीसा			ज़िले का नाम: जगतसिंहपुर		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/ हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: रघुनाथपुर					
गांव का नाम: जैसोल					
1	1901/2912	निजी	एग्रीकल्चर	0.004	उर्मिला साहू डबल्यू/ओ. लैक्समैन साहू
2	2067	निजी	एग्रीकल्चर	0.008	जगला किशोर पती, पूर्णा चंद्र पती एँस्/ओ. बंसीधर पती ओशा पती डबल्यू/ओ. बंसीधर पती गौरांग पती एँस्/ओ. दैतारी पती
3	309	निजी	एग्रीकल्चर	0.008	राधामणि नायक डबल्यू/ओ. माधव नायक सत्यरंजन नायक, मनोरंजन नायक, सुकांती नायक, बसंती नायक, मिनाती नायक, झरना नायक, जयंती नायक एँस्/ओ. माधव नायक
गांव का नाम: तरिकुन्द					
4	1543/3963	निजी	रेसिडेंशियल	0.004	रंजीत कुमार साहू एँस्/ओ. रविन्द्र नाथ साहू

5	1553	निजी	रेसिडेंशियल	0.002	महामद अली खान ऐस्/ओ. हैदर खान
6	1585	निजी	रेसिडेंशियल	0.004	सुरेंद्र कुमार पत्रा ऐस्/ओ. राजिव पत्रा
7	1586	निजी	रेसिडेंशियल	0.004	देवेन्द्र कुमार पत्रा ऐस्/ओ. लोकनाथ पत्रा
8	2781	निजी	नॉन एग्रीकल्चर	0.002	महामद हनीफ ऐस्/ओ. मुंसीबाबू खान
9	2990/3984	निजी	रेसिडेंशियल	0.002	बुडु पनका ऐस्/ओ. सुकू पनका
10	3405	निजी	रेसिडेंशियल	0.004	इंदिरा सुभदर्शिनी पानी डबल्यू/ओ. प्रदीप्त कुमार सतपथी
11	3419	निजी	रेसिडेंशियल	0.004	ऐस्के इस्मिल ऐस्/ओ. ऐस्के इब्राहिम
Total				0.046	

[फा. सं. RO/BBSR/11011/NH/IAHE/39/Smbp-Nuagaon/2017/3D2]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 10th July, 2026

S.O. 3837(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, **1060(E) Dated:27/02/2026**, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for widening and Strengthening to 2L+PS of Kandarpur-Balikuda from km 277.500 to km 318.970 in the district of Jagatsinghpur in the state of ODISHA

And whereas the substance of the said notification has been published in “The Samaj” dated 17th April 2026 and “Odisha Bhaskar” dated 17th April 2026; under sub-section (1) of section 3A of the said Act;

And whereas the Competent Authority has received objections under Section 3-C, considered and settled the same appropriately;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structure falling NH-55 in the of widening and strengthening to 2L+PS of Kandarpur-Balikuda from km 277.500 to km 318.970 in the district of Jagatsinghpur in the state of ODISHA

State: ODISHA			District: Jagatsinghpur		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Hectares)	Name of Land Owner/Interested Person
1	2	3	4	5	6
Taluk: Raghunathpur					
Village: Jaisol					
1	1901/2912	Private	Agriculture	0.004	Urmila Sahoo W/o. Laxman Sahoo
2	2067	Private	Agriculture	0.008	Jagala Kishor Pati, Purna Chandra Pati S/o. Bansidhar Pati Osha Pati W/o. Bansidhar Pati Gaurang Pati S/o. Daitari Pati
3	309	Private	Agriculture	0.008	Radhamani Nayak W/o. Madhab Nayak Satyaranjan Nayak, Manoranjan Nayak, Sukanti Nayak, Basanti Nayak, Minati Nayak, Jharana Nayak, Jayanti Nayak S/o. Madhab Nayak
Village: Tarikund					
4	1543/3963	Private	Residential	0.004	Ranjit Kumar Sahoo S/o. Rabindra Nath Sahoo
5	1553	Private	Residential	0.002	Mahamad Ali Khan S/o. Haidar Khan
6	1585	Private	Residential	0.004	Surendra Kumar Patra S/o. Rajib Patra
7	1586	Private	Residential	0.004	Debendra Kumar Patra S/o. Lokanath Patra

8	2781	Private	Non Agriculture	0.002	Mahamad Hanif S/o. Munsibabu Khan
9	2990/3984	Private	Residential	0.002	Budu Panka S/o. Suku Panka
10	3405	Private	Residential	0.004	Indira Subhadarsini Pani W/o. Pradipta Kumar Satpathi
11	3419	Private	Residential	0.004	Sk Ismil S/o. Sk Ibrahim
Total				0.046	

[F. No. RO/BBSR/11011/NH/IAHE/39/Smbp-Nuagaon/2017/3D2]

SHAIKH AMINKHAN, Director